उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 13.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 13.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने 10-10 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ 02 नफर अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम व बरामदगी/ गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी रविकान्त गोडं के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीगर अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित टीम के उ0नि0 विकासधर दुबे मय हमराह उ0नि0 कन्हैयालाल पटेल, म0का0 शिवानी सिंह द्वारा 02 नफर अभियुक्तागण 1.मुस्कान कबूतरा पत्नी अक्षय उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सेलामाफ ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा 2.संगीता कबूतरा पत्नी पप्पू उम्र 34 वर्ष निवासी कबूतरा ड़ेरा ग्राम बिलखी थाना श्रीनगर जनपद महोबा को कबूतरा डेरा के पास से बहद ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से मौके पर दो प्लास्टिक की पिपियों में क्रमशः 10-10 ली0 अवैध कच्ची शराब महुआ बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना श्रीनगर पर मु.अ.सं. 137/25 व 138/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

बरामदगी-

10- 10 ली0 अवैध कच्ची शराब महुआ बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ विकासधर दुबे 0नि0
2. उकन्हैयालाल पटेल 0नि0
3. म शिवानी सिंह 0का0

गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1.मुस्कान कबूतरा पत्नी अक्षय उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सेलामाफ ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

2. संगीता कबूतरा पत्नी पप्पू उम्र 34 वर्ष निवासी कबूतरा ड़ेरा ग्राम बिलखी थाना श्रीनगर जनपद महोबा